

फैक्ट शीट

1	परियोजना का नाम :-	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत मैठाना-स्यालतरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.631 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
2	प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में) निजी भूमि :- सिविल/वन पंचायत भूमि :- आरक्षित वन भूमि:- मक डिस्पोजल प्लान हेतु :- योग :-	 2.856 है०
3	प्रस्तावक विभाग का नाम :-	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पोखरी
4	वन प्रभाग का नाम :-	केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
5	प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है :-	हाँ
6	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है :-	हाँ
7	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग- 1, 2 और 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है :-	हाँ
8	क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है :-	हाँ
9	प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है :-	हाँ
10	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है :-	हाँ
11	बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है :-	नहीं
12	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है :-	संरक्षण में कम से कम वृक्षों का पातन किया गया है।
13	संरक्षण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है :-	हाँ
14	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है :-	हाँ
15	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजनामय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है :-	हाँ
16	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है :-	हाँ
17	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है :-	हाँ
18	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है :-	नहीं
19	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कॉरीडोर का हिस्सा है :- यदि हाँ तो मुख्य वन जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है :-	नहीं
20	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है:-	हाँ

21	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है :- (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)	मार्ग नया प्रस्तावित है
22	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है :-	हाँ
23	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है :-	हाँ
24	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है :-	नहीं
25	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का प्रमाण संलग्न किया जाए।	कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
26	सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाएं/वैकल्पिक संरक्षण मानचित्र पर दर्शाए गए हैं:-	हाँ
27	वैकल्पिक संरक्षणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाए) :-	1:50,000 के मानचित्र में लिखा गया है।
28	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत है (पाँच है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) :-	नहीं
29	मानचित्र व चार्ट में एकरूपता है :-	हाँ
30	मलवे के निस्तारण की योजनामय मानचित्र सहित संलग्न है :- अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है :-	हाँ
31	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्तावना संलग्न है :-	हाँ
32	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं, यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं :-	हाँ
33	यदि वनभूमि लीज पर ली जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें :-	नहीं
34	वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है :-	हाँ
35	क्या प्रस्तावों में सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है :-	हाँ
36	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं :-	हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनाएं संलग्न कर दी गई हैं।

सहायक अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
पोखरी

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
पोखरी

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर

रजि.
सि.
रजि.

अ.स.
ज.स.